न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 :274/2016

अनवान :

1. जयसिंह
2. श्रवणकुमार
3. इन्द्रपाल

पिसरान हरीकिशन जाति बिश्नाई निवासी गांव डुंगरबास तहसील भादरा।

– वादीगण

बनाम

1. राजो पत्नि बंशीलाल पटवारी निवासी भोडीया बिश्नोईयान तहसील एवं जिला फतेहबाद।
2. सैना पत्नि रामकुमार मांजू निवासी चौधरीवाली तहसील आदमपुर।
3. मीरां पत्नि ओमप्रकाश मांजू निवासी चौधरीवाली तहसील आदमपुर।
4. सिलोचना पत्नि भंवरलाल खिचड़ निवासी सदलपुर तहसील आदमपुर।
5. ज्याना पत्नि अजयकुमार गांव नीमड़ी तहसील फतेहबाद।
6. सीमा पत्नि आत्माराम गिला निवासी आदमपुर जिला हिसार (हरियाणा)।
7. बिरगा पत्नि हरीसिंह सहू निवासी कालीरावण तहसील आदमपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955
उपस्थिति : वकील श्री दलीप सिंह झोरड़ एवं
श्री प्रेमप्रकाश झोरड़ **: वादीगण**
वकील श्री धर्मपाल बेरवाल **: प्रतिवादी सं0 6**
वकील श्री विक्रम शर्मा **: प्रतिवादी सं0 3**

निर्णय **दिनांक : 08.10.2018**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 3 बीएचडी के खाता सं0 128/121 के मु0नं0 18, 19 की 5.8190 है0 नहरी, खाता सं0 129/16 के मु0नं0 24 की कुल 0.5060 है0 खाता सं0 130/102 के मु0नं0 24 में 0.5060 है0, चक 1 बीएचपी के खाता सं0 272/244 के मु0नं0 57, 58 की कुल 8.8550 है0 चक 7 बारानी के खाता सं0 165/182 के मु0नं0 17, 18, 28, 38, 39 की 11.7400 है0 में वादीगण के पिता हरीकिशन की 4.403 है0 खातेदारी कृषि भूमि स्थित है। वादीगण के पिता हरीकिशन का देहान्त दिनांक 10.04.2015 को हो चुका है हरीकिशन के कुल 11 सन्तानें क्रमश वादीगण जयसिंह, श्रवण, इन्द्रपाल, प्रतिवादीया राजो, सैना, मीरां, सिलोचना, ज्याना, सीमा बिरमा एवं बिरखा उत्पन्न हुए। बिरखा लावल्द फौत हो गई।

वादीगण की बहने प्रतिवादीया सं0 1 से 7 का विवाह हरीकिशन ने अपने जीवनकाल में काफी धूमधाम से कर दिया था और वे सभी अपनी अपनी ससुराल में आबाद है। प्रतिवादीया सं0 1 से 7 ने दिनांक 30.05.2014 को वादगत कृषि भूमि जो राजस्व रिकार्ड में हरीकिशन के नाम दर्ज है अपना समस्त हक व हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में स्वेच्छा से परित्याग कर अपना हिस्सा शुन्य कर लिया था।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्डाधिकारी भादरा

हरिकिशन ने उसी दिन दिनांक 30.05.2014 को सभी की सहमति एवं रजामंदी से एक वसीयतनामा खुला अपनी उपर वर्णित वादगत समस्त कृषि भूमि बाबत अपने तीनों पुत्रों वादीगण जयसिंह, श्रवणकुमार व इन्द्रपाल के हक में बहिस्सा बराबर तहरीर व तकमील करवाकर उप पंजीयक भादरा के समक्ष निष्पादित करवा दिया।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीया सं0 6 ने जबाबदावा पेश किया तद्पश्चात् वादीगण व प्रतिवादी सं0 3 व 6 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया व प्रतिवादी सं0 1, 2, 4, 5, 7 ने इकबालदावे पेश किये एवं प्रतिवादी सं0 8 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया। जवाबदावा पेश होने के बाद तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि वादभूमि जो दावा की मद संख्या 3 में वर्णित है, की अन्तिम वसीयत दिनांक 30.05.2014 को वादीगण के पिता हरिकिशन ने वादीगण के पक्ष में तहरीर व तकमील करवाकर उनके हवाले कर दी इसलिए वादीगण वादभूमि के खातेदार काश्तकार हुऐ ? — वादी
2. आया कि वादभूमि हरिकिशन की खरीदशुदा भूमि है जिसका उसे वसीयत करने का पूर्ण हक अधिकार था ? — वादी
3. आया कि वादभूमि पुश्तैनी भूमि है जिसमें प्रतिवादिया मीरां का 1/11 हिस्सा है जिसका हरिकिशन को वसीयत करने का कोई हक व अधिकार नही था ?

—प्रतिवादी

4. अनुतोष

तनकीयात कायम करने के बाद पत्रावली में साक्ष्य वादीगण में पीडब्ल्यु 1 जयसिंह, पी.डब्ल्यू 2इन्द्रसिंह, पी.डब्ल्यू 3 राजेन्द्र, पी.डब्ल्यू 4 भगवतदयाल, पी.डब्ल्यू 5 इन्द्रपाल के बयान करवाए गए दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 7 बारानी खाता सं0 165/182 सम्वत् 2070 से 73 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 3 बीएचडी खाता सं0 128/121 सम्वत् 2070 से 73 प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 3 बीएचडी खाता सं0 129/16 सम्वत् 2070 से 73 प्रदर्श 3, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 3 बीएचडी खाता सं0 131/124 सम्वत् 2070 से 73 प्रदर्श 4, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 1 बीएचपी खाता सं0 272/244 सम्वत् 2070 से 73 प्रदर्श 5, असल प्रति सनद प्रदर्श 6, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 7ए, चित्रप्रति वसीयतनामा प्रदर्श 8ए, शपथ पत्र प्रदर्श 9 प्रदर्शित करवाए।

साक्ष्य प्रतिवादीगण में प्रतिवादीया सं0 6 सीमा के सशपथ बयान करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में फोटो प्रमाणित प्रति जमाबन्दी खतौनी दरमयानी ग्राम डूंगरबास सम्वत् 2000 प्रदर्श डी1, फोटो प्रमाणित प्रति जमाबन्दी खतौनी दरमयानी ग्राम डूंगरबास सम्वत् 1999 प्रदर्श डी2, फोटो प्रमाणित प्रति जमाबन्दी खतौनी दरमयानी ग्राम डूंगरबास सम्वत् 1996 प्रदर्श डी3 प्रदर्शित करवाए।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

वकील प्रतिवादीया सं0 6 ने न्यायिक उद्वरण अपील सख्या 210/2011/223 आरटीएक्ट भगतसिंह बनाम रामकुमार आदि पेश कर उसमें प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे1994(1) पेज 135 मन्नुदेवी बनाम शेरसिंह में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

उपखण्डाधिकारी भादरा (राज0)

गया है कि "When compromise in writing and duly signed is presented in the court is bound to prepare a decree in terms of compromise." वादीगण एंव प्रतिवादी सं0 6 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया है प्रतिवादी सं0 6 के 1/10 हिस्सा को अपने नाम दर्ज करने पर सहमत हुई है। इसके अलावा न्यायिक दृष्टान्त डीएनजे 2015 पेज सं0 166 से 170 सुखदेव सिंह बनाम मेजरसिंह व अन्य पेश किया। तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है

तनकी संख्या– 01 से 03 को साबित करने भार सबुंत वादीगण/प्रतिवादीगण पर है एक यहा पर तीनों तनकी की एक साथ विवेचना करना आवश्यक है। वादीगण ने वादभूमि के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श 1 सें 9 एवं वसीयत दिनांक 30.05.2014 के द्वारा साबित करना चाहा परन्तु प्रतिवादीगण एवं वादीगण के द्वारा वादभूमि के सबंध में इकबालदावा व राजीनामा प्रस्तुत कर वाद के तथ्यों को स्वीकार करते हुये प्रस्तुत किये है जिससे हस्तगत तनकी को एक दुसरे के पक्ष या विपक्ष में साबित करने का कोई हैतुक कारण नही बनता है। अतः तनकी संख्या 01 से 03 का खण्डन राजीनामा प्रस्तुत होने पर कोई वाद कारण नही है एवं उभय पक्षकारान को मुताबिक राजीनामा अनुतोष दावा डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

हमारे द्वारा वकील अभिभाषकगण की बहस पर मनन एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने चक 3 बीएचडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में मुताबिक वसीयत दिनांक 30.05.2014 के अपने नाम से घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। हरिकिशन द्वारा दिनांक 30.05.2014 को वादीगण के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया जाना अंकित है जिसकी पुष्टि में वादीगण ने चित्रप्रति वसीयतनामा प्रदर्श 8ए, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 7ए प्रदर्शित करवाई है एवं प्रतिवादी सं0 1, 2, 4, 5, 7 ने इकबालदावे एवं प्रतिवादी सं0 3 का राजीनामा पेश किया है। वादीगण द्वारा वसीयत के गवाहान पी. डब्ल्यू 1 जयसिह पुत्र हरीकिशन जाति बिश्नोई निवासी डूगरबांस, पी.डब्ल्यू 2 इन्द्रसिह पुत्र भैरसिह जाति राजपूत निवासी डुंगरबास, एवं पी.डब्ल्यू 3 राजेन्द्र पुत्र रामप्रताप जाति यादव निवासी भोजासर के बयान करवाए जिन्होने अपने बयानों द्वारा वसीयत को सही व सत्य बताया है। वादीगण के बयानात, वसीयत के गवाहान के बयानात प्रतिवादिया संख्या 1, 2, 4, 5, 7 के इकबालदावा, प्रतिवादिया सं. 3 के राजीनामा से वसीयत सही साबित होना साबित है। दावा में वसीयत के खण्डन में या वसीयत के प्रतिकूल कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है, न ही वसीयत को मिथ्या साबित किया गया है, जिससे वादीगण के पिता हरिकिशन द्वारा वादीगण के पक्ष में दिनांक 30.05.2014 को वसीयतनामा निष्पादित होना व उनकी मृत्यु के उपरान्त प्रभावी होना साबित है। परन्तु प्रतिवादीया सं0 6 नें वाद कृषि भूमि के दादालाई होने बाबत फोटो प्रमाणित प्रति जमाबन्दी खतौनी दरमयानी ग्राम डूंगरबास सम्वत् 2000 प्रदर्श डी1, फोटो प्रमाणित प्रति जमाबन्दी खतौनी दरमयानी ग्राम डूंगरबास सम्वत् 1999 प्रदर्श डी2, फोटो प्रमाणित प्रति जमाबन्दी खतौनी दरमयानी ग्राम डूंगरबास सम्वत् 1996 प्रदर्श डी 3 प्रदर्शित करवाये है। वादीगण मुताबिक वसीयत वादभूमि को दर्ज करवाने के अधिकारी है मगर स्वयं वादीगण व प्रतिवादिया संख्या 6 ने आपसी सहमति से लिखित राजीनामा पेश किया है । प्रतिवादिया द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्वरण अपील सख्या 210/2011/223 आरटीएक्ट भगतसिंह बनाम रामकुमार आदि पेश कर उसमें प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे 1994(1) पेज 135 मन्नुदेवी बनाम शेरसिंह की ओर ध्यान केन्द्रित करवाया है जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि "When compromise in writing and duly signed is presented in the court is bound to prepare a decree in terms of compromise." वादीगण एंव प्रतिवादी सं0 6 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया है प्रतिवादी सं0 6 के 1/10 हिस्सा को

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

अपने नाम दर्ज करने पर सहमत हुई है एव जिसके द्वारा वादीगण वादभूमिरोही मौजा चक 3 बीएचडी के खाता सं0 128/121 के मु0नं0 18, 19 की 5.8190 है0 नहरी, चक 1 बीएचपी के खाता सं0 272/244 के मु0नं0 57, 58 की कुल 8.8550 है0 चक 7 बारानी के खाता सं0 165/182 के मु0नं0 17, 18, 28, 38, 39 की 11.7400 है0 में वादीगण के पिता हरीकिशन की 4.403 है0 खातेदारी कृषि भूमि में 1/10 हिस्सा प्रतिवादिया सं. 6 के नाम दर्ज करवाने को तैयार है। चक 3 बीएचडी के खाता संख्या 129/16 व 130/102 वादीगण के नाम दर्ज करवाने को तैयार है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत भी इसका समर्थन करता है। वादीगण व प्रतिवादीगण आपसी राजीनामा सहमति से वाद का निस्तारण करने को तैयार है तो न्यायालय को भी उक्त राजीनामा को वरीयता देनी चाहिए। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर वाद वादीगण आंशिक तौर पर साबित है।

अत : वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बीएचडी के खाता सं0 128/121 के मु0नं0 18, 19 की 5.8190 है0 नहरी, चक 1 बीएचपी के खाता सं0 272/244 के मु0नं0 57, 58 की कुल 8.8550 है0 चक 7 बारानी के खाता सं0 165/182 के मु0नं0 17, 18, 28, 38, 39 की 11.7400 है0 में वादीगण के पिता हरीकिशन की 4.403 है0 खातेदारी कृषि भूमि स्थित है। हरिकिशन के नाम दर्ज उक्त आराजी में से हरिकिशन का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण 9/10 हिस्सा बहिस्सा बराबर एवं प्रतिवादीया सं0 6 सीमा 1/10 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादीगण के नाम 9/10 हिस्सा एवं प्रतिवादीया सं0 6 सीमा के नाम 1/10 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे एवं चक 3 बीएचडी के खाता सं0 129/16 के मु0नं0 24 की कुल 0.506 है0 खाता सं0 130/102 के मु0नं0 24 में 0.5060 है आराजी में से हरिकिशन का नाम कलमजन कर वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **08.10.2018** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी R.A.S.
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 :274/2016

अनवान :

1. जयसिंह 2. श्रवणकुमार 3. इन्द्रपाल	पिसरान हरीकिशन जाति बिश्नाई निवासी गांव डुंगरबास तहसील भादरा।

– वादीगण

बनाम

1. राजो पत्नि बंशीलाल पटवारी निवासी भोडीया बिश्नोईयान तहसील एवं जिला फतेहबाद।
2. सैना पत्नि रामकुमार मांजू निवासी चौधरीवाली तहसील आदमपुर।
3. मीरां पत्नि ओमप्रकाश मांजू निवासी चौधरीवाली तहसील आदमपुर।
4. सिलोचना पत्नि भंवरलाल खिचड़ निवासी सदलपुर तहसील आदमपुर।
5. ज्याना पत्नि अजयकुमार गांव नीमड़ी तहसील फतेहबाद।
6. सीमा पत्नि आत्माराम गिला निवासी आदमपुर जिला हिसार (हरियाणा)।
7. बिरमा पत्नि हरीसिंह सहू निवासी कालीरावण तहसील आदमपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा से समक्ष वकील वादीगण श्री दलीप सिंह झोरड़, प्रेमप्रकाश झोरड़ एवं वकील प्रतिवादीगण श्री धर्मपाल बेरवाल व विक्रम शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बीएचडी के खाता सं0 128/121 के मु0नं0 18, 19 की 5.8190 है0 नहरी, चक 1 बीएचपी के खाता सं0 272/244 के मु0नं0 57, 58 की कुल 8.8550 है0 चक 7 बारानी के खाता सं0 165/182 के मु0नं0 17, 18, 28, 38, 39 की 11.7400 है0 में वादीगण के पिता हरीकिशन की 4.403 है0 खातेदारी कृषि भूमि स्थित है। हरिकिशन के नाम दर्ज उक्त आराजी में से हरिकिशन का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण 9/10 हिस्सा बहिस्सा बराबर एवं प्रतिवादीया सं0 6 सीमा 1/10 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादीगण के नाम 9/10 हिस्सा एवं प्रतिवादीया सं0 6 सीमा के नाम 1/10 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे एवं चक 3 बीएचडी के खाता सं0 129/16 के मु0नं0 24 की कुल 0.506 है0 खाता सं0 130/102 के मु0नं0 24 में 0.5060 है आराजी में से हरिकिशन का नाम कलमजन कर वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक **08.10.2018** को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़